बलात्कार या लैंगिक / यौन शोषण

१. **बलात्कार क्या है?लैंगिक शोषण क्या है?**
२. **अगर आप पर बलात्कारपीड़ितहै या आपका लैंगिक शोषण हुआ है तब आपको क्या करना चाहिए**
३. **आपराधिक कानून (सुधारित) अधिनियम २०१३**
४. **स्नेहा आपकी सहायता कैसे कर सकती है**

१. बलात्कार क्या है? लैंगिक शोषणक्या है?

सन २०१३ में भारत में 'बलात्कार' की परिभाषा को विस्तृत किया गया, जिसमें दूसरे व्यक्ति की योनि में ही नहीं बल्कि मुंह, गुदा, मूत्रमार्ग या शरीर के किसी अवयव में किसी भो हद तक शिस्न या शरीर का कोई भी भाग या किसी वस्तू को अंदर ड़ालना या महिला को अपने साथ या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए जबरदस्ती करना ।

निजी अवयवों को मुंह लगाना या छूना आदि का भी समावेश लैंगिक हमले में किया गया है।

इस सुधारित कानून के अंतर्गत भारत में अनुमती की आयुमर्यादा (एज ऑफ कंसेंट) १८ साल तक बढ़ाई गई है। जिसका मतलब है कि, अठारह वर्ष से कम उम्र की महिला से किसी तरह की लैंगिक गतिविधी उसकी अनुमती के बावजूद भी कानूनन बलात्कार है।

२. अगर आपपर बलात्कार या लैंगिक शोषण हुआ है तब आप को क्या करना चाहिये?

१. ध्यान में रहे कि आपके साथ जो हुआ है इसमें **आपकी गलती नहीं ह**।
२. आप चाहें तो इस अपराध की पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवा सकती हैं लेकिन अगर आप न्याय पाना चाहती हैं और अपराधी को सज़ा दिलवाना चाहतो हैं तब आपको तुरंत ही अपराध की रिपोर्ट दर्ज़ करवानी होगी।
३. सबूतों को बचाकर रखना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए तुरंत ही नज़दिकी अस्पताल जाईए।
    - नहाईए नहीं, अपने कपड़े भी मत बदलिए, सॅनिटरी नॅपकिन तक नहीं बदले। आप पेशाब किये बगैर या दाँत माँजे बिना ही और कपड़े तथा अंतर्वस्त्र बदले बगैर सीधे अस्पताल जाने की सलाह दी जाती है।
    - अगर आप कंप्लेंट दर्ज़ कराना नहीं चाहती है फिर भी हमारी आप से सलाह है कि आप जल्द से जल्द वैद्यकीय मदद प्राप्त कर लिजिए।
४. निजी अस्पताल केरजिस्टर्ड़ ड़ॉक्टर पर भी आपका इलाज करने और सबूत इकट्ठा करने की कानूनन ज़िम्मेदारी है।यह ज़रूरी नहीं कि आप सिफ़ सरकारी अस्पताल जाएं ।

५. अगर आप चाहे तो पहले नज़दिकी पुलिस थाने में अपनी कंप्लेंट दर्ज़ करवाने भी जा सकती हैं। वे आपको अपने सारे कपड़े सबूत के तौर पर जमा करवाने के लिए कहेंगे और आपको वैद्यकीय जाँच (मेड़िकल एक्झामिनेशन) के लिए भेजेंगे।

६. मौजुदा कानून के अनुसार (नीचे दिए गए विभाग को देखिए) 'बलात्कार' में लैंगिक संभोग (पिनो-व्हजायनल या शिस्न-योनि) के अलावा अन्य तरह के लिंगप्रवेश को भी शामिल किया गया है। साथ ही इसमें ज़बरन किए गए मौखिक और गुदा मैथुन का भी समावेश है।

३. आपराधिक कानून (संशोधित / सुधारित) अधिनियम २०१३

आपराधिक कानून (संशोधित / सुधारित) अधिनियम २०१३ में भारतीय दंड़ संहिता (आई.पी.सी.), भारतीय गवाही अधिनियम (इंड़ियन एव्हिड़ेन्स एक्ट) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (कोड़ ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर, १९७३) आदि यौन अपराध से जुड़े कानूनोंमेंसुधार/संशोधन किया है। इस नये सुधारित/परिवर्तित कानून में ॲसिड़ ॲटॅक, लैंगिक अत्याचार, वायोरिज़म या निज़ी क्षणों में ताकझाक करना पीछा करना जैसे नए अपराधों को शामिल किया गया है। सबसे अहम बदलाव आई.पी.सी. के तहत 'बलात्कार' की परिभाषा बदल कर उसे और भी विस्तत किया गया है, जिसमें योनी में शिस्नप्रवेश के अलावा और भी कई दूसरे कृत्यों को शामिल किया गया है। बलात्कार के इस विभाग में लिंगप्रवेश (पेनेट्रेशन) का मतलब 'किसी भी हद तक लिंगप्रवेश' और बलात्कार का विरोध ना होना इसके गुनाह साबित होने में कोई मायने नहीं रखता, ऐसा साफ़ कहा गया है। 'सामूहिक बलात्कार' के मामले में इसमें शामिल व्यक्ति चाहे किसी भी लिंग की हो, उन्हें सज़ा होगी।

४. स्नेहा संस्था आपकी सहायता कैसे कर सकती है

आप या आपके पहचान में कोई व्यक्ति अगर हिंसा से झुंझ रही है और आप मुंबइ के निवासी है तब शहर में विविध जगहो पर 'स्नेहा' से संपर्क कर सकते हैं (ज़्यादा जानकारी के लिए 'संपर्क' पृष्ठ देखें)

अगर आप मुंबई शहर में नहीं रहते है तब आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या सहायता के लिए कॉल कर सकते हैं।

हम क्या सहायता देते है

- **दुर्घटना / संकटसमय में हम**
  - ❊ भावनात्मक आधार देते है
  - ❊ पुलिस में कंप्लेंट देने में मदद, अगर आपको वैद्यकिय सेवा की ज़रूरत हो तब अस्पताल या/ ड़ॉक्टर से आपका संपर्क करवाते हैं
  - ❊ आपको तत्काल आधार सेवाओं से जोड़ते हैं जैसे की आधारगृह

- **हम आपको समुपदेशन (काउंसलिंग) सेवाएँ प्रदान करते हैं**
  - ❇ व्यक्तिगत समुपदेशन
  - ❇ दंपती समुपदेशन
  - ❇ मानसोपचार सेवाएँ (सायको थेरप्युटिक सेवाएँ जिसमें कॉग्निटिव्ह बिहेवियर थेरपी और रिलॅक्सेशन थेरपी शामिल है।

स्नेहा हिंसा से पीड़ित महिलाओं की गोपनियता आश्वस्त करती है।